न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 09/2022 G.C.M.S. No:2022/156 दर्ज दिनांकः 11.07.2022

अपीलार्थीगणः

01. निम्बाराम पुत्र श्री कसना जी जाति मुंगीया वागरी निवासी मनादर
02. गोमाराम पुत्र श्री कसना जी जाति मुंगीया वागरी निवासी मनादर
03. कालीया पुत्र श्री कसना जी जाति मुंगीया वागरी निवासी मनादर
04. कपुराराम पुत्र श्री कसना जी जाति मुंगीया वागरी निवासी मनादर
05. अचलाराम पुत्र श्री कसना जी जाति मुंगीया वागरी निवासी मनादर
06. चतराराम पुत्र श्री नीबांजी जाति मुंगीया वागरी निवासी मनादर
07. शंकर पुत्र श्री नीबाजी जाति मुंगीया वागरी निवासी मनादर
08 मगी पत्नी श्री नींबाराम जाति मुगीया वागरी निवासी मनादर
09. कनीया पुत्री श्री नींबाराम जाति मुगीया वागरी निवासी मनादर
10. मगाराम पुत्र श्री कसनाजी जाति मुगीया वागरी निवासी मनादर
11. राधा बेवा श्री कसना जी जाति मुंगीया वागरी निवासी मनादर
12. बादामी पत्नी श्री लसारामजी पुत्री श्री कसनाजी जाति मुंगीया निवासी पालड़ी जोड़ तहसील सुमेरपुर जिला पाली

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

01. रूपाराम पुत्र भबुता जाति मेघवाल निवासी भाचरना तहसील लूणी जिला जोधपुर के कायम मुकामः–
    1/1. सुआदेवी पत्नी स्व0 श्री रूपारामजी जाति मेघवाल
    1/2. भाणाराम पुत्र स्व0 श्री रूपारामजी जाति मेघवाल
    1/3. शंकरराम पुत्र स्व0 श्री रूपारामजी जाति मेघवाल
    1/4. हंसाराम पुत्र स्व0 श्री रूपारामजी जाति मेघवाल सर्वनिवासीयान भाचरना तहसील लूणी जिला जोधपुर
02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, शिवगंज

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 23.01.2020 राजस्व वाद संख्या 41/2012 न्यायालय सहायक कलेक्टर शिवगंज एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थित–

1. श्री दलपतराज परमार, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तीया, रेस्पोंडेन्ट संख्या 1/1 से 1/4 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 17.01.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर शिवगंज के राजस्व वाद संख्या 41/2012 बउनवान रूपाराम बनाम निम्बाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.01.2020 के विरूद्ध पेश की गई। जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 रूपाराम ने एक राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधिनियम के तहत अपीलांट के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजजी मौजा मनादर पटवार हल्का मनादर भू–अभिलेख क्षै माण्डानी तहसील शिवगंज में खसरा संख्या 2738 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा आई हुई है। उक्त आराजी मौजा मनादर की आबादी से लगती हुई होने से वादी के समय समय पर अपने गांव से जाने के दौरान अपीलांट संख्या 1 से 9 ने मिलकर वादग्रस्त आराजी पर कच्चे झुपे बना दिए एवं जबरन कब्जा कर दिया। इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 01 से 13 ने मिलकर एक राय होकर वादी के मालकी खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 2738 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। जिसको हटा कर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को पुनः कब्जा दिलवाया जावे। उक्त वाद को दर्ज कर अपीलांट/प्रतिवादी को तलब किया गया। जिस पर अपीलांट ने अपनी ओर से अधिवक्ता श्री छगनलाल गहलोत को पेरवी करने के लिए नियुक्त किया था, जिन्होने अपीलांट्स की ओर से जवाबदावा पेश किया व बाद में अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलांट को बिना कोई नोटिस व सूचना दिये दिनांक 04.12.2019 को पैरवी करने से मना करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में अपीलांट के विरूद्ध डिक्री पारित किया है। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलांट को बिना कोई नोटिस व सुचना दिये वाद में उनकी ओर से पैरवी करने मना किया था तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वो अपीलांट को पुनः नोटिस जारी करके प्रकरण का निस्तारण करते लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित कर कानूनी भूल की है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2738 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा रियासत काल से कशना वागरी के खातेदारी कब्जे काश्त की थी। कशना की मृत्यु के पश्चात उनके वारीसान अपीलांट संख्या 01 से 06 एवं कनीया, बाबु, मगा व अन्य का मौके पर कब्जा काश्त बतौर खातेदार कृशक के लगातार कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि का राजस्व रेकॉर्ड में गलत नामान्तरण सवाराम पुत्र प्रेमाजी व नारायणलाल पुत्र जगताजी वागरी निवासी मनादर के नाम से गलत दर्ज होने पर उन्होने उसके आधार पर बैनामी रजिस्ट्री करवाई है, जबकि मौके पर रियासतकाल से अपीलांट का कब्जा है व उनके कच्चे व पक्के काफी पहले से बने हुए है व उसमे विद्युत कनेक्शन भी लिए हुए है। जिसका उल्लेख जवाबदावा में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने से पूर्व अपीलांट व उसके गवाहान के बयान कलमबंद्ध नहीं किये है व न अपीलांट के किसी भी दस्तावेज को न्यायालय में प्रदर्शित करवाया गया है। अपीलांट को उक्त निर्णय व डिक्री पारित होने की निजी जानकारी अपीलांट को नहीं थी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

क्योंकि अपीलांट को उनके अधिवक्ता ने बिना किसी सुचना के न्यायालय में नोटप्रेस किया है। जिससे अपीलांट को उक्त वाद में निर्णय व डिक्री दिनांक 23.01.2020 पारित होने की निजी जानकारी नहीं थी तथा निर्णय होने के बाद उनके अधिवक्ता श्री छगनलाल गहलोत का स्वर्गवास होने के कारण व कोरोना महामारी के कारण न्यायालय कार्य नियमित नहीं होने से भी उनको उक्त वाद के निर्णय की निजी जानकारी नहीं हो सकी थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा राजस्व अधिकारीयो के साथ मौके पर आकर कब्जा हटाने की धमकीया देने पर व कोर्ट से फैसला होने की बात कहने पर अपीलांट ने संबधित न्यायायल में पत्रावली देखने पर उनको उक्त वाद व डिक्री की जानकारी होने पर अपील पेश की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्री को अपास्त कर वाद को पुनः रेकर्ड पर लिए जाने का व अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिवगंज के समक्ष रेस्पोंडेंट द्वारा अपीलांट के विरूद्ध वादपत्र अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया, जो दिनांक 21.10.2010 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 23.01.2020 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 11.07.2022 को प्रस्तुत की गई। इस प्रकार हस्तगत अपील लगभग 900 दिन विलंब से प्रस्तुत की गई हैं।
2. अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विलंब के कारण के रूप में मुख्य रूप से यह निवेदन किया है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से पैरवी करने के लिए अधिवक्ता श्री छगनलाल गहलोत को नियुक्त किया था, जिन्होंने प्रतिवादीगण अपीलांट की ओर से जवाबदावा पेश किया तथा बाद में दिनांक 04.12.2019 को पैरवी करने से मना कर दिया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.01.2020 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। जिसकी अपीलांट को जानकारी नहीं थीं। जोकि अपीलांट की गैर मौजूदगी में जारी की गई। बाद में कोरोना महामारी के कारण न्यायालय

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

कार्य बाधित था। रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा राजस्व अधिकारियों के साथ मौके पर आकर कब्जा हटाने की धमकियां देने पर व कोर्ट से फैसला होने की बात कहने पर अपीलांट ने संबंधित न्यायालय में जाकर पत्रावली देखने पर उक्त वाद के निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जिस पर यह अपील पेश की गई। अतः अपीलांट ने जानबूझकर देरी नहीं की। अतः विलंबकाल को माफ किया जावें।

3. इस प्रकार अपीलांट द्वारा विलंब के कारण के रूप में मुख्य रूप से यह अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में उनकी ओर से नियुक्त अधिवक्ता ने उन्हें प्रकरण की जानकारी समय पर नहीं दी। जिससे उन्हें अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी।

4. प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा यह अंकित नहीं किया है व न ही स्पष्ट किया है कि उन्हें अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी वास्तव में किस दिनांक को हुई। प्रार्थीगण द्वारा जानकारी की दिनांक का अंकन नहीं किया है। प्रार्थीगण द्वारा यह अंकित किया है कि अप्रार्थी व राजस्व अधिकारी वादग्रस्त आराजी पर मौके पर आकर उन्हें बेदखल करने की धमकी देने पर उन्हें अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। लेकिन यह अंकन व स्पष्ट नहीं किया है कि किस दिनांक को अप्रार्थी व राजस्व अधिकारी द्वारा मौके पर आकर प्रार्थीगण को बेदखल करने व अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के बारे में बताया।

5. यह सुस्पष्ट है कि परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत प्रार्थीगण को विलंबकाल माफ करने के लिए विलंब के एक–एक दिन का कारण स्पष्ट करना होता है। लेकिन हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा वस्तुतः यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि उन्हें वास्तव में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी किस दिनांक को हुई।

6. प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के कारण के रूप में अपने अधिवक्ता को जिम्मेदार ठहराया है, जिसके संबंध में यहां हम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 2016(4) डी.एन.जे. (राज) 1729 जितेन्द्रसिंह बनाम निर्वाण चेरिटेबल ट्रस्ट में प्रदत्त अभिमत का उल्लेख करना उचित समझते हैं जिसके अनुसार– *"निगरानी पेश करने में 234 दिनों का विलंब– याची ने अभिवचन किया कि वकील ने आदेश के बारे में सूचना नहीं दी– याची संख्या 1 ने उसका वकील नहीं बदला– मुव्वकिल को पर्याप्त जागरूक होना चाहिए एवं लंबित कार्यवाहियों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, आधारहीन कथन किया, विलंब शमन हेतु सत्याभाषी स्पष्टीकरण में ही, याचीगण स्थापित करने में असफल रहें कि वे मियाद में निगरानी पेश करने से रोके गये, निर्णीत, धारा 5 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र व निगरानी*

राजस्व अपील प्राधिकारी
भादरा

याचिका खारिज किये।" हस्तगत प्रकरण में 900 दिन का दीर्घ विलंब निहित है। अतः उक्त न्यायिक नजीर हमारे विनम्र मत में हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होती हैं।

7. प्रार्थीगण द्वारा कोरोना महामारी के कारण विलंब होना भी अंकित किया है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस दिनांक से किस दिनांक की अवधि के दौरान वे वास्वत में अपील प्रस्तुत करने से वंचित रहें। हस्तगत प्रकरण में 900 दिन का दीर्घ विलंब निहित है। उक्त संपूर्ण अवधि के लिए कोरोना महामारी को कारण नहीं माना जा सकता। फिर प्रार्थीगण द्वारा यह भी अंकित नहीं किया है कि उन्हें वास्तव में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी किस दिनांक को हुई। ऐसी स्थिति में कोरोना महामारी के कथन मात्र करने से विलंब को क्षमा नहीं किया जा सकता।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए 900 दिवस के दीर्घ विलंब के लिए कोई युक्तियुक्त, समुचित, सद्भाविक व स्वीकार्य कारण दर्शित नहीं किए हैं। 900 दिवस का दीर्घ विलंब यह जाहिर करता है कि अपीलांट प्रार्थीगण के द्वारा लापरवाहीपूर्वक विलंब कारित किया है तथा जानबूझकर की गई लापरवाही जनित विलंब के लिए कानूनन क्षमा नहीं किया जा सकता। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की वास्तव में उन्हें जानकारी किस दिनांक को हुई, का अंकन नहीं करने से भी यह जाहिर होता है कि अपीलांट प्रकरण में लापरवाह व उदासीन रहे हैं। अपीलांट द्वारा विलंब के लिए अपने अधिवक्ता को दोषी ठहराना किसी भी दृष्टि से समुचित कारण नहीं माना जा सकता। पक्षकारान से यह अपेक्षा होती है कि न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की अद्यतन जानकारी रखें, अपने अधिवक्ता से स्वयं समय–समय पर जानकारी लेते रहें तथा स्वयं जागरूक रहें। लेकिन हस्तगत प्रकरण में न तो प्रार्थीगण जागरूक रहे हैं व न ही स्वयं की ओर से कोई प्रयास किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल किसी भी दृष्टि से क्षमा योग्य नहीं हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने, विलंब के लिए दर्शित कारण युक्तियुक्त, सद्भाविक एवं समुचित तथा स्वीकार्य नहीं होने के फलस्वरूप विलंबकाल माफीयोग्य नहीं होने से अपील अपीलांट विहित परिसीमा अवधि 60 दिवस से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

17/01/2025

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली